सीसीटीएनएस/अतिमहत्वपूर्ण/द्वारा ई-मेल

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

चतुर्थ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांकः टीएस-सीसीटीएनएस-40/2012 दिनांकःलखनऊःमार्च 29,2014

सेवा में,

1-अपर पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद।
3-अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीसी मुरादाबाद।
4-अपर पुलिस महानिदेशक, एटीएसी सीतापुर।
5-अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस गोरखपुर/ उन्नाव।
6-पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
7-पुलिस महानिरीक्षक, पीटीसी सीतापुर।
8-पुलिस महानिरीक्षक, आरटीसी चुनार मिर्जापुर।
9-समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन उत्तर प्रदेश।
10-पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीटीएस मेरठ/ मुरादाबाद।
11-समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश ।
12-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
13-पुलिस अधीक्षक/ सहायक निदेशक,उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ।
14-पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, महानगर लखनऊ।
15-पुलिस अधीक्षक, रेलवे, लखनऊ/ मुरादाबाद/ झाँसी/ इलाहाबाद/ गोरखपुर।
16-अपर पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।
17-पुलिस उपाधीक्षक, सर्किल आफिस जीआरपी गाजियाबाद/कानपुर नगर/शाहजहाँपुर/बरेली/बलिया।

विषयः- **सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये हार्डवेयर/साफटवेयर एवं अन्य सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्य का सत्यापन District Infrastructure Committee से किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः- 1-पत्र संख्या टीएस-सीसीटीएनएस-40/2012 दिनांक 06-08-2013 तथा अनुस्मारक पत्र दिनांकित 20-08-2013, 03-09-2013, 10-03-2014, 12-3-2014 14-03-2014, 18-3-2014।
2-पत्र संख्या टीएस-सीसीटीएनएस-81/2012 दिनांकः 19-02-2014 तथा 25-02-2014 अनुस्मारक पत्र दिनांकितः 11-03-2014 एवं 12-03-2014 ।

जैसा कि आप विदित है कि सीसीटीएनएस योजना को प्रदेश में लागू किये जाने हेतु सिस्टम इन्टीग्रेटर, के रूप में मेसर्स एन0आई0आई0टी0 टेक्नालॉजी लिमिटेड, को चयनित किया गया है। उक्त चयनित फर्म के द्वारा थाना/ कार्यालय/ मुख्यालय स्तर/ रेलवे / प्रशिक्षण संस्थानों/ डीटीसी आदि पर सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये हार्डवेयर, साफ्टवेयर, अन्य उपकरण फर्नीचर इत्यादि एवं अन्य सम्बन्धित समस्त प्रकार के कार्यों का सत्यापन आपके द्वारा किया जाना है।

क्रमशः2/-

2— उल्लेखनीय है कि दिनांक 26—02—2014 को मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में आहूत स्टेट अपेक्स कमेटी की मीटिंग में निर्देश दिये गये हैं कि एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड को हार्डवेयर के सापेक्ष नियमानुसार समय से भुगतान किया जाता रहे। हार्डवेयर सत्यापन की आख्या **District Infrastructure Committee** के द्वारा सत्यापित होकर प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित फर्म को भुगतान की कार्यवाही नहीं किया जा सका है।

3— उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रेषित की गयी सूची में कुछ स्थानों से वॉछित आख्या निर्धारित प्रकिया में प्राप्त हो चुकी उन्हें किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है परन्तु जहॉ से प्राप्त आख्या पर **District Infrastructure Committee** के द्वारा इस मुख्यालय से प्रेषित सूचना प्रपत्र पर सत्यापन आख्या नहीं उपलब्ध करायी जा रही है वे सूची में अंकित उपकरण साफटवेयर निर्धारित संख्या में उपलब्ध हैं, का परीक्षण/सत्यापन कर इस मुख्यालय से प्रेषित की गयी सूची पर या सूची के प्रारूप में ही आप अपने मूल हस्ताक्षर पद नाम सहित इस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट। साथ ही साथ निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।

1. जनपद स्तर पर गठित जनपदीय इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति के मूल हस्ताक्षर हों, जनपद में स्थापित डीटीसी का सत्यापन भी इसी समिति द्वारा किया जाएगा।
2. सर्व सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करा लें, कि उक्त हार्डवेयर/साफटवेयर का स्टाक बुक में इन्द्राज हो जाए।
3. उपकरणों को इन्सटाल कर दिया गया है जिसका उद्धरण सत्यापित रिपोर्ट में अंकित होना चाहिये।

Neha 22/3/14

(नेहा पाण्डेय)
पुलिस अधीक्षक,तकनीकी सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1— अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2— अपर पुलिस महानिदेशक, जीआरपी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3— अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4— श्री जफर रिजवी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मेसर्स एन0आई0आई0टी0 टेक्नालॉजी लिमिटेड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5— श्री राजीव वशिष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजर, एसपीएमयू।
6— प्रभारी सीसीटीएनएस कन्ट्रोल रूम को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर तत्काल सूचना अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।
7— प्रभारी सीसीटीएनएस को बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।